"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 (भाद्रपद 21, 1940)

क्रमांक-8344/वि. स./विधान/2018 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2018 (क्रमांक 18 सन् 2018) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 4 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2018

वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 4) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की संचित निधि में से 24,33,78,00,100 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2018 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार चार सौ तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख एक सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
13	कृषि	राजस्व	12,00,00,00,000	0	12,00,00,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	33,78,00,000	0	33,78,00,000
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	9,12,00,00,000	0	9,12,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	2,88,00,00,000	0	2,88,00,00,000
	योग -	राजस्व	24,33,78,00,100	0	24,33,78,00,100
		पूंजी	0	0	0
	वृहद योग		24,33,78,00,100	0	24,33,78,00,100

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 10 सितम्बर, 2018

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.